न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./149/2024

1. चान्दू पत्नी स्व0 घीसालाल जाति जाट निवासी बालापुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. शैलू पुत्री स्व0 घीसालाल जाति जाट निवासी बालापुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. सैनू पुत्री स्व0 घीसालाल जाति जाट निवासी बालापुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील–भिनाय जिला–केकडी।

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–31.12.2024

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री शिवचरण चौधरी
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा बालापुरा पटवार क्षेत्र बालापुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 46 में दर्ज खसरा नम्बर 1083/196 रकबा 1.21, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.68, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.28, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.77, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.41, खसरा नम्बर 158 रकबा 0.30, खसरा नम्बर 19 रकबा 0.40, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.51, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.15, खसरा नम्बर 344 रकबा 0.61, खसरा नम्बर 376 रकबा 0.06, खसरा नम्बर 377 रकबा 0.35, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.11, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.79, खसरा नम्बर 415 रकबा 0.25, खसरा नम्बर 478 रकबा 0.16, खसरा नम्बर 500 रकबा 0.47, खसरा नम्बर 501 रकबा 0.13, खसरा नम्बर 502 रकबा 0.04, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.12 और खसरा नम्बर 88 रकबा 0.50 कुल किता 21 कुल रकबा 8.30 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर, पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तलबी बाबत् जारी नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। तहसीलदार भिनाय को नोटिस तामिली के उपरान्त जवाब बाबत् समय दिये जाने के उपरान्त भी जवाब सरकार प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब सरकार बन्द किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियम की गई। वकील प्रार्थी से एकतरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम बालापुरा के खाता संख्या 46 संवत 2073–2076(जमाबन्दी 2076(वर्ष 2019) से स्थायी) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा बालापुरा पटवार क्षेत्र बालापुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 46 में दर्ज खसरा नम्बर 1083/196 रकबा 1.21, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.68, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.28, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.77, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.41, खसरा नम्बर 158 रकबा 0.30, खसरा नम्बर 19 रकबा 0.40, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.51, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.15, खसरा नम्बर 344 रकबा 0.61, खसरा नम्बर 376 रकबा 0.06, खसरा नम्बर 377 रकबा 0.35, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.11, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.79, खसरा नम्बर 415 रकबा 0.25, खसरा नम्बर 478 रकबा 0.16, खसरा नम्बर 500 रकबा 0.47, खसरा नम्बर 501 रकबा 0.13, खसरा नम्बर 502 रकबा 0.04, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.12 और खसरा नम्बर 88 रकबा 0.50 कुल किता 21 कुल रकबा 8.30 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार नागोला को 500/– रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। **निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।**

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
भिनाय (केकड़ी)